

(1)

संख्या-३ए-२-वे०पु०-(भत्ता)-०८/२०१३-.....7829...../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-24.10.2018

**विषय:-** पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से 7 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-३२५०, दिनांक-०४/०५/२०१८ के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-०१/०१/२०१८ के प्रभाव से 7 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०- 1/2/2018-E-II(B) दिनांक-०७/०९/२०१८ के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले कन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति कन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

- (i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-०१/०७/२०१८ के प्रभाव से 7 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।
- (ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिणित कर किया जाएगा।
- (iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णिकृत कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।
- (iv) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त महंगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।
- (v)

(1)

5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हे क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिचारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के हो राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतीक्षा भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

संस्करण-01/07/2018 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत भुगतान करते समय चूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि वो शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-

(राहुल सिंह)  
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-०८/२०१३- 7829/वि०

पटना, दिनांक:-24.10.2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ल० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)  
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-०८/२०१३- 7829/वि०

पटना, दिनांक:-24.10.2018

प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)  
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

संख्या-३ए-२-वै०पु०-(भत्ता)-०८/२०१३-२२६६/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:- ०६/०३/२०१९

**विषय:-** पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों को दिनांक ०१/०१/२०१९ के प्रभाव से ९ प्रतिशत के स्थान पर १२ प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-७८२९, दिनांक-२४/१०/२०१८ के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों को दिनांक-०१/०७/२०१८ के प्रभाव से ९ प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

२. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-१/१/२०१९-१-१(B) दिनांक-२७/०२/२०१९ के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केंद्रीय कर्मियों को दिनांक ०१/०१/२०१९ के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर ९ प्रतिशत से बढ़ाकर १२ प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

३. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

४. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

- (i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेशन प्राप्त कर रहे राज्य पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों को दिनांक-०१/०१/२०१९ के प्रभाव से ९ प्रतिशत के स्थान पर १२ प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।
- (ii) पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेशन के आधार पर परिणित कर किया जाएगा।
- (iii) महंगाई भत्ता की गणना में ५० पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूरीकृत कर दिया जायगा तथा ५० पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। उपर्युक्त मंहगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।
- (iv) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेशनधारियों के पेशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।
- (v)

(vi) जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक के बिकाये राशि का भुगतान दिनांक-01/04/2019 के बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 में होगा।

5. पेशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेशनरों सहित उन पेशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हे क्षतिपूर्ति पेशन, वार्धक्य पेशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेशन प्राप्त है। औपबंधिक पेशन/पारिवारिक पेशन एवं असाधारण पेशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के ~~अन्दर~~ पेशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेशन प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

7. दिनांक-01/01/2019 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

हो/-

(राहुल सिंह)  
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 2266/वि० पटना, दिनांक:-06.03.2019

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

(राहुल सिंह)  
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 2266/वि० पटना, दिनांक:-06.03.2019

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

(राहुल सिंह)  
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।